दिनांक 02.12.2025
प्रेस विज्ञप्ति 03/2025

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।

भ्रष्टाचार निवारण संगठन, उ0प्र0 की बरेली तथा मीरजापुर इकाइयों द्वारा दो अलग-अलग स्थानो पर की गयी ट्रैप की कार्रवाई

मा० मुख्यमंत्री उ0प्र0, **श्री योगी आदित्यनाथ जी** द्वारा भ्रष्टाचार के विरुद्ध **"जीरो टॉलरेंस"** की नीति तथा पुलिस महानिदेशक उ0प्र0, श्री राजीव कृष्ण के सख्त निर्देशों के अनुपालन में आज दिनांक 02.12.2025 को भ्रष्टाचार निवारण संगठन, उ0प्र0 की बरेली एवं मीरजापुर इकाइयों द्वारा दो अलग-अलग स्थानो पर ट्रैप की कार्रवाई की गयी।

1- भ्रष्टाचार निवारण संगठन बरेली इकाई द्वारा श्री सुभाष शर्मा निवासी ग्राम आलमपुर जाफराबाद थाना भमौरा जनपद बरेली से थाना एण्टी थेप्ट जनपद बरेली में पंजीकृत मुकदमें में जमानत देने के एवज में अवैध धनराशि की मांग के सम्बन्ध में की गयी शिकायत पर निरीक्षक श्री जितेन्द्र सिंह के नेतृत्व में प्रभारी निरीक्षक कक्ष कार्यालय एण्टी पावर थेप्ट जनपद बरेली से **निरीक्षक अरूण कुमार यादव** पुत्र बनवारी लाल **(तैनाती थाना एण्टी पावर थेप्ट जनपद बरेली)** निवासी मकान नं0-26 थाना इज्जतनगर जनपद बरेली को **05 हजार रूपये** रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

2- भ्रष्टाचार निवारण संगठन मीरजापुर इकाई द्वारा श्री नीरज कुमार गुप्ता निवासी अनवार रोड वार्ड नं0-3 दुधी जनपद सोनभद्र से बिजली बिल संशोधन कराये जाने के एवज में अवैध धनराशि की मांग के सम्बन्ध में की गयी शिकायत पर निरीक्षक श्री अनिल कुमार चौरसिया के नेतृत्व में अंजू श्रृंगार लेडिज एण्ड गिफ्ट कार्नर, मेन चौक हनुमान मंदिर के बगल में जी0एल0 मार्केट दुधी सोनभद्र से **उ0प्र0 पॉवर कॉरपोरेशन से 1-जावेद अहमद सम्प्रति TG 2(SSO)** पुत्र निसार अहमद ग्राम गोधरा थाना मुगलसराय चन्दौली, वर्तमान पता वार्ड नं0-1 सफाई कॉलोनी चोपन थाना चोपन सोनभद्र एवं **2-अशोक कुमार भारती सम्प्रति लाइनमैन (संविदाकर्मी)** पुत्र स्व0 पन्नालाल ग्राम मगरहा थाना चुनार जनपद मीरजापुर को **30 हजार रूपये रिश्वत** लेते हुए गिरफ्तार कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

दिनांक 02.12.2025
प्रेस विज्ञप्ति 04/2025

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।

एसटीएफ—फेन्सेडिल कफ सिरप व कोडीन युक्त अन्य दवाओं को नशे के रूप में प्रयोग करने हेतु इनका अवैध भंडारण एवं व्यापार करने वाला 01 अभियुक्त गिरफ्तार।

दिनांक 02—12—2025 को एसटीएफ उ0प्र0 को फेन्सेडिल कफ सिरप व कोडीन युक्त अन्य दवाओं को नशे के रूप में प्रयोग करने हेतु इनका अवैध भंडारण एवं व्यापार करने वाले 01 अभियुक्त को लखनऊ से गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त हुई।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता—

1— आलोक प्रताप सिंह पुत्र वीरेन्द्र प्रताप सिंह निवासी 57/3 मालवीय नगर ऐशबाग राजेन्द्रनगर लखनऊ उ०प्र० मूल पता— ग्राम कैथी पो0 गुरेरा, थाना बलुआ, चंदौली।

गिरफ्तारी का स्थान दिनांक व समय—

प्लासियो माल के पूर्व उत्तरी गेट के तिराहे के पास, थाना सुशांत गोल्फ सिटी, लखनऊ। दिनांक 02—12—2025 समय लगभग 10.45 बजे।

एस0टी0एफ0 उत्तर प्रदेश को विगत काफी दिनों से फेन्सेडिल कफ सिरप व कोडीन युक्त अन्य दवाओं को नशे के रूप में प्रयोग करने हेतु इनका अवैध भंडारण एवं व्यापार करने तथा उत्तर प्रदेश, उत्तराखण्ड, बिहार, झारखंड, असम, पश्चिम बंगाल व बांग्लादेश भेजे जाने की सूचना प्राप्त हो रही थी, जिसकी रोकथाम हेतु उत्तर प्रदेश शासन के पत्र संख्या—201 पी/छः—पु—3—2024 दिनांकः 12 फरवरी 2024 के द्वारा स्पेशल टास्क फोर्स तथा खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रसाधन विभाग उ0प्र0 की संयुक्त जांच समिति का गठन किया गया था। जांच के दौरान भारी मात्रा में अवैध फेन्सेडिल कफ सिरप को बरामद कर थाना सुशान्त गोल्फ सिटी, कमिश्नरेट लखनऊ में मु0अ0सं0—182/2024 धारा 420/467/468/471/34/120बी/201 भा0द0वि0 पंजीकृत कराया गया था। उत्तर प्रदेश शासन द्वारा दी गई जांच के अनुपालन में श्री लाल प्रताप सिंह, अपर पुलिस अधीक्षक, एस0टी0एफ0, लखनऊ के पर्यवेक्षण में निरीक्षक अंजनी कुमार पाण्डेय, हे0का0 गौरव सिंह, हे0का0 प्रशान्त सिंह, हे0का0 शेर बहादुर, की टीम द्वारा अभिसूचना संकलन की कार्यवाही की जा रही थी।

एस0टी0एफ0 द्वारा अभियोग की विवेचना के दौरान प्रकाश में आए अभियुक्त विभोर राणा एवं विशाल सिंह पुत्रगण गजराज सिंह निवासी शास्त्री नगर थाना सदर बाजार, सहारनपुर को दिनांक 12–11–2025 तथा अमित कुमार सिंह उर्फ अमित टाटा को दिनांक 27–11–2025 को गिरफ्तार किया गया था। गिरफ्तार अभियुक्तों की पूछताछ से मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित प्रकाश में आये अभियुक्त आलोक प्रताप सिंह की तलाश में अभिसूचना के आधार पर प्लासियो माल के पास, थाना सुशांत गोल्फ सिटी, लखनऊ से अभियुक्त उपरोक्त को गिरफ्तार किया गया।

उपरोक्त अभियुक्त ने विस्तृत पूछताछ में बताया कि ग्राम नरवे आजमगढ़ के रहने वाले विकास सिंह के माध्यम से मेरा परिचय शुभम जायसवाल पुत्र भोला प्रसाद निवासी कायस्थ टोला प्रह्लाद घाट वाराणसी से हुआ था। विकास सिंह ने बताया था कि शुभम जायसवाल का एबॉट कंपनी की फेन्सेडिल कफ सिरप का शैली ट्रेडर्स के नाम से बड़ा कारोबार रांची, झारखंड में है। कोडीन युक्त फेन्सेडिल कफ सिरप नशे के रूप में प्रयोग होता है, जिसकी काफी डिमांड पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश में है। इसकी तस्करी में बहुत फायदा है। अगर उसके धंधे में कुछ पैसे लगाओगे तो काफी आमदनी होगी, इस पर लालच में आकर तैयार हो गया और साथी अमित कुमार सिंह उर्फ अमित टाटा को भी बताया तो वह भी तैयार हो गया। अमित टाटा को एसटीएफ द्वारा पूर्व में गिरफ्तार किया जा चुका है। हम दोनों ने विकास सिंह के माध्यम से शुभम जायसवाल व उसके पार्टनर वरुण सिंह, गौरव जायसवाल व विशाल मेहरोत्रा के साथ बातचीत की और उन लोगों ने धनबाद में मेरा श्रेयसी मेडिकल एजेंसी के नाम से जनवरी 2024 में फर्म बनवा दी। फर्म का सारा लेनदेन शुभम जायसवाल व उसके पार्टनर तथा उसका सी0ए0 तुषार देखता था। धनबाद के बिजनेस में मैंने तथा अमित टाटा ने 5–5 लाख रूपये कुल दस लाख रूपये लगाये। मुझको तथा अमित टाटा को इन लोगों ने लगभग 20–22 लाख रुपए दिए। हम लोग धनबाद 2–3 बार ही गये थे। धनबाद, रांची का काम वरूण सिंह देखता था। इसके बाद इन लोगों के कहने पर हम दोनों के नाम से बनारस में भी ड्रग लाइसेंस लेकर फर्म खुलवाई। मेरे नाम मां शारदा मेडिकल के नाम से फर्म खुलवाई। इसका भी सारा लेन–देन शुभम जायसवाल व उसके साथी देखते थे। बनारस के फर्म में दो–तीन महीने ही फेन्सेडिल का व्यापार होना बताया। उसके बाद एबॉट कंपनी द्वारा फेन्सेडिल कफ सिरप बनाना

बंद हो गया। बनारस की फर्म में भी लगभग 8 लाख रुपए का लाभ अलग–अलग समय पर शुभम के पार्टनर विकास सिंह व विशाल मल्होत्रा ने दिया था। रांची, गाजियाबाद में पुलिस एवं एस0टी0एफ0 टीम द्वारा इसके गैंग के सौरभ त्यागी, विभोर राणा आदि को गिरफ्तार कर लेने के कारण शुभम जायसवाल अपने परिवार एवं पार्टनर वरुण सिंह, गौरव जायसवाल के साथ दुबई भाग गया है। शुभम जायसवाल व उसके पार्टनर द्वारा हम लोगों के अलावा अन्य काफी लोगों के नाम से भी इसी प्रकार फर्जी फर्म बनवाकर फेन्सेडिल कफ सीरप के कूटरचित बिल और ई–वे बिल तैयार कर फर्जी खरीद बिक्री दिखाकर उसको तस्करों के हाथ बेचकर भारी मुनाफा कमाते हैं। ड्रग लाइसेंस दिया गया अनुभव प्रमाण पत्र एवं शपथ पत्र आदि फर्जी है। हम लोगों ने कभी भी किसी भी दुकान पर काम नहीं किया है। अमित टाटा के पकडे जाने के बाद मैंने कोर्ट में अपना सरेंडर प्रार्थना पत्र डाला था। अभियुक्त से विस्तृत पूछताछ के लिये पुलिस अभिरक्षा रिमांड हेतु आवश्यक कार्यवाही की जायेगी।

गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध पूर्व से पंजीकृत मु0अ0सं0 182/2024 धारा 420, 467, 468, 471, 34, 120बी, 201 भा0द0वि0 थाना सुशान्त गोल्फ सिटी, कमिश्नरेट लखनऊ में दाखिल कर अग्रिम विधिक कार्यवाही एस0टी0एफ0 द्वारा की जाएगी।

<u>अभियुक्त उपरोक्त का अब तक का ज्ञात आपराधिक इतिहास–</u>

1– 177/2006 धारा 395, 397, 412 भादवि थाना आशियाना, जनपद लखनऊ।

2– मु0अ0सं0 182/2024 धारा 420, 467, 468, 471, 34, 120बी, 201 भा0द0वि0 थाना सुशान्त गोल्फ सिटी, कमिश्नरेट लखनऊ।

<u>जनपद मथुरा/थाना बलदेव</u>

- **पुलिस कार्यवाही में 25 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित अभियुक्त गिरफ्तार**
- **01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस**
- **01 पिकअप वाहन (बिना नम्बर प्लेट) बरामद**

दिनांक 01.12.2025 को थाना बलदेव पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर यमुना एक्सप्रेसवे, अण्डरपास के पास बदमाश की घेराबन्दी की गई तो बदमाश ने पुलिस टीम पर जान से मारने की नियत से फायरिंग कर दी। पुलिस टीम द्वारा की

गई आत्मरक्षार्थ कार्यवाही में अभियुक्त पवन उर्फ यशवीर घायल हो गया, जिसे गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से 01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस, 01 पिकअप वाहन (बिना नम्बर प्लेट) बरामद हुए। घायल को उपचार हेतु अस्पताल भेजा गया।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म का अपराधी है, जो थाना बलदेव पर पंजीकृत अभियोग में वांछित चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी हेतु जनपद स्तर से 25 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित था।

इस सम्बन्ध में थाना बलदेव पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–पवन उर्फ यशवीर निवासी बटपुरा थाना सहपाऊ जनपद हाथरस।

बरामदगी

1–01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस।

2–01 पिकअप वाहन (बिना नम्बर प्लेट)।

कमिश्नरेट लखनऊ/थाना कृष्णानगर

- **04 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **चोरी की 18 ई–रिक्शा बैट्री**
- **20 हजार रूपये नगद**
- **घटना में प्रयुक्त 01 चार पहिया वाहन आदि बरामद**

दिनांक 02.12.2025 को थाना कृष्णानगर पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर बैकुंठ धाम के पास से 04 अभियुक्तों 1–सर्वेश 2–अभिषेक 3–विकास 4–जमई को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से चोरी की 18 ई–रिक्शा बैट्री, 20 हजार रूपये नगद, घटना में प्रयुक्त 01 चार पहिया वाहन आदि बरामद हुए।

उल्लेखनीय है कि दिनांक 26/27.11.2025 को थाना कृष्णानगर क्षेत्रान्तर्गत अज्ञात चोरो द्वारा चोरी की घटना कारित की गई थी, जिसके सम्बन्ध में थाना

कृष्णानगर पर अभियोग पंजीकृत कर अभियुक्तों की गिरफ्तारी व माल बरामदगी के प्रयास किये जा रहे थे। गिरफ्तार अभियुक्तों से बरामद बैट्री आदि चोरी की घटना से सम्बन्धित है।

इस सम्बन्ध में थाना कृष्णानगर पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–सर्वेश निवासी इन्दिरानगर थाना इन्दिरानगर कमिश्नरेट लखनऊ।

2–अभिषेक निवासी बडडुपुर थाना बडडुपुर जनपद बाराबंकी।

3–विकास निवासी ग्राम जमुआ थाना घुंघटेर जनपद बाराबंकी।

4–जमई निवासी ग्राम अरकापुर थाना खुटैना जनपद बहराइच, हालपता नंदपुर डूडा कॉलोनी थाना चिनहट कमिश्नरेट लखनऊ।

बरामदगी

1–चोरी की 18 ई–रिक्शा बैट्री।

2–20 हजार रूपये नगद।

3–घटना में प्रयुक्त 01 चार पहिया वाहन आदि।

- **जनपद अम्बेडकरनगर/थाना महरूआ (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा 02 अभियुक्तो को आजीवन कारावास की सजा व 18–18 हजार रूपये अर्थदण्ड)**

जनपद अम्बेडकरनगर पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद अम्बेडकरनगर द्वारा थाना महरूआ पर पंजीकृत अभियोग में धारा 316/325 भादवि व 3(2)5 एससी/एसटी एक्ट के अन्तर्गत अभियुक्त 1–बिहारी 2–अभियुक्ता को आजीवन कारावास व 18–18 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

- **जनपद औरैया/थाना फफूंद (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त को सश्रम आजीवन कारावास की सजा व 40 हजार रूपये अर्थदण्ड)**

जनपद औरैया पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद औरैया द्वारा थाना फफूंद पर पंजीकृत अभियोग में धारा 363/366 व 376(3) भादवि सपठित धारा 4(2) पॉक्सो एक्ट के अन्तर्गत अभियुक्त मुसाहिद अली उर्फ राजा को सश्रम आजीवन कारावास व 40 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

➢ **<u>जनपद बाराबंकी/थाना सुबेहा (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त को 20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा व 10 हजार रूपये अर्थदण्ड)</u>**

जनपद बाराबंकी पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद बाराबंकी द्वारा थाना सुबेहा पर पंजीकृत अभियोग में धारा 6 पॉक्सो एक्ट के अन्तर्गत अभियुक्त रवीन्द्र उर्फ बन्दी को 20 वर्ष के कठोर कारावास व 10 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

➢ **<u>जनपद कुशीनगर/थाना को0हाटा (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा 03 अभियुक्तों को 10–10 वर्ष व 07 वर्ष के कारावास की सजा व अर्थदण्ड)</u>**

जनपद कुशीनगर पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद कुशीनगर द्वारा थाना को0हाटा पर पंजीकृत अभियोग में अभियुक्त 1–शत्रुधन 2–जय प्रकाश को धारा 307 भादवि के अन्तर्गत 10–10 वर्ष के सश्रम कारावास व 20–20 हजार रूपये अर्थदण्ड एवं 3–अभियुक्ता को धारा 307 भादवि के अन्तर्गत 07 वर्ष के कारावास व 10 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

———————